राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं सामाजिक अंकेक्षण पर "प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण" जिला सिरमौर ।

भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम पारित किया गया । यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार के व्यस्क सदस्य को मांग किये जाने पर एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का अकुशल रोजगार प्रदान करने की गारंटी देता है । इसी अधिनियम की परिदृष्टि में हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की संरचना करके इसे दिनांक 4 नवम्बर, 2006 को अधिसूचित कर दिया गया है । यह देश भर में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन की अब तक लागू की गई योजनाओं में ऐसी पहली योजना है जो रोजगार की कानूनी गारन्टी प्रदान करती है तथा रोजगार प्राप्त न होने की स्थिती में बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान करने का प्रावधान इस योजना के द्वारा किया गया है । इस योजना के अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गों - महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा शारीरिक रूप से अक्षम वर्गों को भी रोजगार प्रदान करने का विशेष प्रावधान किया गया है । पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से NREGA का कार्यन्वयन प्रजातांत्रिक नियोजन प्रणाली में जन सहभागिता को सुनिश्चित करता है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी, 2006 को लागू हुई, कानून के लागू होने के तुरन्त बाद राज्यों द्वारा, राज्य की रोजगार गारंटी स्कीम तैयार की गई । सर्वप्रथम 200 जिलों में इस योजना का शुभारंभ हुआ, हिमाचल प्रदेश प्रथम चरण में दो जिलों को लिया गया, चम्बा, सिरमौर, दूसरे चरण में यह योजना मण्डी, कांगडा दो जिलों में लागू की गई ।

यह सम्भवतः देश में पहली ऐसी योजना है जिसमें सामाजिक अंकेक्षण की अनिवार्यता अधिनियम के माध्यम से प्रावधित है । सामाजिक अकेंक्षण किसी कार्य की प्रगति, प्रकृति और प्रवृति को देखने की एक अनौपचारिक पद्धति है जिसमें सभी हित भागी और लाभान्वित कार्यक्रम योजना के कार्यों का आकलन करते है और अपनी संगठित शक्ति के आधार पर कियान्वयन कर्ता को सही कार्यक्रम नियोजन एवं कार्य नियोजन के लिए प्रेरित कर देते हैं । NREGA में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान न केवल जवाब देही और उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करता है अपितु योजना के कार्यान्वयन में अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति हेतु जन साधारण की भागीदारी सुनिश्चित करता है । सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा के पीछे किसी कार्यक्रम के कार्यन्वयन में गलतियां ढूंढने वाली जांच नहीं हैं और न ही इसमें कार्य करने वाले व्यक्ति विशेष की कमियां ढूंढी जाती है, अपितु विभाग अथवा संस्था के निर्धारित लक्ष्यों के परिपेक्ष्य में कार्यक्रम की कारगुजारी देखी जाती है और समक्ष आई कमियों के विषय में भविष्य के लिए सुझाव दिये जाते हैं । सामाजिक अंकेक्षण एक निरतंर चलने वाली प्रकिया है और NREGA में ग्राम पंचायतों के कार्यों पर सतत निगरानी करने का दायित्व ग्राम सभाओं को दिया गया है ।
योजना को लागू हुए 2 वर्ष हो गये हैं परन्तु क्षेत्रीय अध्ययन व अनुभव सांझाकरण के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ कि योजना का कार्यन्वयन करने वाली संस्थाओं में उनकी भूमिका को लेकर उन्हें स्थिती स्पष्ट नहीं हो पायी है । सम्भवतः इसका मुख्य कारण इन संस्थाओं व व्यक्तियों का उचित प्रशिक्षण तथा क्षमतावृद्धि न हो पाना रहा है ।

इस कमी के मद्देनजर रखते हुए, कार्यकरताओं की क्षमता वृद्धि व योजना की पूर्ण जानकारी प्रदान करने व इन से जुडे प्रश्नों को सुलझाने के लिए संस्थान समय-समय पर हिपा में प्रशिक्षणों का आयोजन करता आया है, लेकिन क्षेत्रिय स्तर पर काम करने वाले कार्यकरताओं के लिए यह सम्भव नहीं हो पाता कि वे संस्थान में आ कर 5/6 दिन का समय निकाल कर पूर्ण प्रशिक्षण व जानकारी प्राप्त करें । इस व्यवहारिक समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस तरह के कार्यक्रम जिला स्तर पर आयोजित किये जाएं, जिसमें प्रतिभागियों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवम् सामाजिक अंकेक्षण की व्यवहारिक जानकारी प्रदान की जाए । इस तरह के कार्यक्रम संस्थान द्वारा पहले जिला चम्बा, मण्डी में सफलतापूर्वक आयोजित किये जा चुके हैं ।

ाष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (अधिनियम) के अधीन जिला सिरमौर में 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 18-23 फरवरी, 008 तक आयोजित किया गया, जिसमें जिले के जन प्रतिनिधियों, कर्मचारियों व अधिकारियों ने भाग लिया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम ं कुल 62 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

हिमाचल् प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान द्वारा NREGA और सामाजिक अंकेक्षण पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके क अभिनव प्रयास किया गया जिससे जिलास्तर पर जा कर कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधेतौर पर प्रशिक्षण दिया गया तथा वास्तविक रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर जा कर सामाजिक आंकेक्षण का अभ्यास आयोजित किया गया । ऐसे कार्यक्रम आयोजन का मंतव्य स्कीम के कार्यन्वयन में सीधे तौर पर जुडी कार्यपालक एजेंसियों को व्यावहारिक रूप से पूर्ण जानकारी प्रदान करना रहता है । इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन से दोहरा लाभ भी प्राप्त हुआ है । एक तो हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधि और जिला स्तर के अधिकारी स्वयं प्रशिक्षित हुए, उनकी शंकाओं का समाधान हुआ, दूसरे वह भविष्य में इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले तथा आधार स्तर पर कार्यरत एजेंसियों को भी प्रशिक्षक के रूप में सूचना/जानकारी प्रदान करने में सक्षम हुए ।

सिरमौर में मुख्यतः कृषि पर आधारित उच्च कार्यबल सहभागिता वाली श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था है । जिसमें 74 प्रतिशत मुख्य कामगार कृषि तथा सम्बधिंत कार्यकलापों पर निर्भर है । जिले में कार्यभागिता में लिंग अनुपात का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि महिलाओं की कार्यभागिता दर 41 प्रतिशत है जो कि मुख्य कामगारों का 27 प्रतिशत है । सिरमौर में 5645 परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं । ऐसी परिस्थितियों के दृष्टिगत सिरमौर का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत चयनित किया जाना तर्कसंगत निर्णय रहा है । NREGA के अतंर्गत चयनियत होने के उपरांत जिला सिरमौर में वर्ष 2007-2008 के दौरान घर परिवारों को उपलब्ध करवाये गये रोजगार की प्रतिशतता 93 रही है जिसमें अनुसूचित जाति के 35.13 प्रतिशत आवेदकों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया । इस कार्यक्रम के अधीन लगभग 15 करोड़ रूपये की धन राशि से 2133 कार्य आरम्भ किये गये जिसमें से अभी तक 6 करोड़ के व्यय के साथ 1235 कार्य पूर्ण किये गये तथा 833 कार्य प्रगति पर है । यह प्रगति गत वर्ष की तुलना में अधिक संतोषजनक रही है ।

प्रशिक्षण प्रकियाः-

1. प्रथम दो दिन प्रशिक्षण कक्ष में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के उद्देश्य, विशेषताएं व सामाजिक अंकेक्षण की प्रकिया के बारे में जानकारी दी गई व इन विषयों पर विचार विमर्श किया गया । दो दिन के सत्र में जिन विषयों पर विचार विमर्श किय गया वे निम्नलिखित हैः-
   (क) विकेन्द्रीयकरण, स्थानीय स्वशासन, रोजगार की अवधारणा व महत्व ।
   (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की विशेषतायें ।
   (ग) पंचायती राज संस्थाएं व अन्य कार्यकारणी एजेंसियों की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में भूमिका ।
   (घ) सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा एवं प्रकिया ।

2. प्रतिभागियों को सामाजिक अंकेक्षण की प्रकिया सिखाने के लिए दो दिवसीय क्षेत्रीय अध्ययन किया गया । समस्त प्रशिक्षणार्थियों को व्यवहारिक सामाजिक अंकेक्षण के अभ्यास प्रशिक्षण हेतू दो दलों में विभाजित कर के क्षेत्रीय अध्ययन हेतू ग्राम पंचायतों में भेजा गया । क्षेत्र अध्ययन के लिए विकास खण्ड नाहन की ग्राम पंचायत नावनी व विकास खण्ड पॉवंटा की ग्राम पंचायत पुरूवाला को चुना गया । 20.2.2008 अतिरिक्त निदेशक, ग्रामीण विकास श्री देवा सिंह नेगी ने क्षेत्रीय अध्ययन दल को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया । तीसरे दिन ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया व ग्राम सभा में प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान बनाई गई रिपोर्ट को पढा गया ।

क्षेत्रीय अध्ययन की प्रकिया

प्रत्येक पंचायत में भेजे गये दल को कार्य निष्पादन हेतू निम्नलिखित समूहों के अंर्तगत संगठित किया गया-

1. जन जागरूकता समूह (Community Mobilization)
2. दस्तावेज सत्यापन समूह (Data verification)
3. परिसम्पति सत्यापन समूह (Physical verification)

1. जन जागरूकता समूह का कार्य, लोगों के घर-2 जा कर उन्हें योजना के बारे में जानकारी देना, योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए अभिप्रेरित करना तथा 22.2.2008 के 10:30 बजे प्रातः पंचायत भवन में होने वाली ग्राम सभा के लिए आमंत्रित करना था ।
2. दस्तावेज सत्यापन समूह को पंचायत घर में रखे गये, सभी दस्तावेजों को सत्यापित करना था । साथ ही मस्टर रोल पर दर्ज सभी मजदूरों के नाम, समूहों को प्रदान की गई मस्टर रोल सत्यापन शीट पर लिखकर, उनके कार्य दिवस व दिहाड़ी को मजदूरों से पूछ कर, मिलान करना था । साथ ही साथ उन्हें यह भी देखना था कि, योजना के अनुरूप दस्तावेजों का रखरखाव हो रहा है या नहीं ।
3. परिसम्पति सत्यापन समूह का कार्य योजना के अंतर्गत पंचायत में बनायी गयी सम्पतियों की उपयोगिता को जानना, मजदूरों को दी जा रही सुविधाओं को देखना तथा उपयोग हो रही निर्माण सामग्री का जायजा लेना था ।

सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट ग्राम पंचायत - नावनी (जमटा)

यह पंचायत सिरमौर के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है । इसी कारणवश यहां विकास कार्य करवाना तथा उनका ब्यौरा देख रेख करना काफी कठिन कार्य है । ग्राम पंचायत नावनी जिला मुख्यालय से 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । यहां की कुल जन संख्या 1604 है । पंचायत का सामाजिक-आर्थिक विवरण निम्नलिखित है ।

पंचायत का नाम	नावनी (जमटा)
ब्लॉक	नाहन
जिला	सिरमौर
कुल जनसंख्या	1604 व्यक्ति
स्त्रियां	783
पुरुष	821
एस.सी.	176 व्यक्ति
एस.टी.	-

ग्राम पंचायत नावनी पहुंचने पर सबसे पहले पंचायत प्रधान श्री प्रीतम सिंह तथा सचिव श्री अजय कुमार ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, पंचायत में पिछले 2 वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हुए कार्यों का ब्यौरा दिया जो निम्नलिखित है ।

ग्राम पंचायत	नावनी
योजना शुरू होने की तारीख	फरवरी, 2006
कुल कार्य	12
पूर्ण कार्य	11
प्रगति पर कार्य	01
गत कार्यों पर कुल स्वीकृत राशि	5,48,000.00 रूपये
स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध कुल प्राप्त राशि	5,48,000.00 रूपये
कुल प्राप्त राशि के विरुद्ध खर्च की गई राशि	5,48,000.00
शुरू किये जाने वाले कार्य	13
कुल वितरित जॉब कार्ड	94
कुल कार्य दिवस	3568
महिलाएं जिन्हें जॉब कार्ड मिला	02
एस.सी.	शुन्य
एस.टी.	शुन्य

इन सभी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई दस्तावेजों की कॉपी से, समूहों ने 3 कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करने का निणर्य लिया । इन तीन कार्यों में से दो कार्य पूर्ण हो चुके थे जबकि एक कार्य चलू कार्य था । जांचे गए कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है ।

1. पक्का रास्ता एस.सी. बस्ती से जमटा
2. पक्का रास्ता जमटा से यवन
3. जोहड निर्माण कार्य भंगूर (कार्य प्रगति पर)

क.स.	विवरण	पक्का रास्ता एस.सी. बस्ती से भवन	पक्का रास्ता जमटा से भवन	जोहड निर्माण कार्य भंगूर (कार्य प्रगति पर)
1.	स्वीकृत राशि	45000.00	80000.00	28000.00
2.	शुरू करने की तिथि	11/09/2006	11/09/2006	10/02/2008
3.	कुल मजदूर	07	11	05
4.	स्त्री	00	00	--
5.	पुरुष	07	11	05
6.	समग्री	27036.00	36540.00	--
7.	समापन	11/01/2007	04/01/2007	--
8.	कुल कार्य दिवस	234	598	

तीनों समूह अपने-अपने कार्य पर जुट गये तथा लोगों के घर-घर जाकर व मिलकर जानकारी एकत्रित की । इन दो दिनों के दौरान जो समूहों की मिली जुली प्रतिकियाएं आई, उस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई । जिसमें कार्यकारी एजेंसियों व मजदूरों की सुविधाओं/समस्याओं को सम्मलित किया गया । यह एक काफी विचारणीय तथ्य है कि अंकेक्षण के दूसरे दिन ही ग्राम पंचायत में 11 पंचायतों के प्रधान इक्कठे हुए तथा अंकेक्षण करने के विरूद्ध हो गये । किन्तु सभी प्रतिभागियों तथा (सचेतकों) फेसिलिटेटरस ने उन्हें इस तथ्य से अवगत करवाया कि सामाजिक अंकेक्षण पंचायतों के लिए उपयोगी है तथा पारदर्शिता स्थापित करता है व होना चाहिए । सभी पंचायत प्रतिनिधियों के अंकेक्षण विरोधी संशयों को दूर किया गया तदोपरांत वे स्वयं भी इस प्रकिया का हिस्सा बन गये ।

अध्ययन के दौरान पाये गये तथ्यों की रिपोर्ट :-

1. पंजीकरण व जॉब कार्डः

क. पंजीकरण रजिस्टर को देखकर पाया गया कि कुल 94 परिवारों को पंजीकृत किया गया है ।
ख. पंजीकरण के 14 दिनों के भीतर 94 परिवारों को फोटो सहित जॉब कार्ड जारी कर दिये गये है ।
ग. जॉब कार्ड देने की प्रकिया को प्रधान, सचिव तथा वार्ड सदस्य स्वयं पूर्ण कर रहे हैं ।
घ. यह एक बेहद सराहनीय विषय है कि ऑडिट टीम ने जिन मजदूरों के जॉब कार्ड, गांव में घूमकर मांगे व देखे, वे मजदूरों के पास पाये गये तथा उन पर, उनके द्वारा किये गये कार्यो का पूर्ण विवरण पाया गया ।
ड. पंजीकरण रजिस्टर पर भी सभी मजदूरों की फोटो, हस्ताक्षर तथा पारिवारिक विवरण, कार्य सहित पाया ।
च. टीम के सदस्यों ने यह भी पाया कि केवल 56 परिवारों ने ही कार्य हेतु आवेदन किया है । अब कुछ परिवारों से बातचीत करने पर पता चला कि वे आवेदन प्रकिया से अनभिज्ञ हैं, साथ ही साथ कुछ ने कहा कि, उन्हें अभी काम की जरूरत नहीं है ।

2. मजदूरी का भुगतानः

क. मजदूरी का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिहाडी की दर से ही किया गया है ।
ख. मजदूरों से बातचीत के दौरान यह पाया गया कि मजदूरी का भुगतान 14 दिनों के भीतर और कभी पहले भी हो जाता है ।
ग. मजदूरी के पैसे कार्यस्थल व कभी पंचायत घर में दिये जाते हैं ।

3. मस्टर रोलः

क. मस्टर रोल का रखरखाव संतोषजनक पाया गया, तथा किसी भी प्रकार की कोई गलती, कटिंग और रिक्त स्थान नहीं पाये गये ।

ख. पंचायत में केवल एक ही कार्य उस समय प्रगति पर था जिसका मस्टर रोल कार्यस्थल पर पाया गया जिसकी देखरेख उप ग्राम प्रधान कर रहा था ।

ग. टीम ने अध्ययनके दौरान यह भी पाया कि जॉब कार्ड व मस्टर रोल की प्रविष्टियां आपस में मेल खा रही थी व संतोषजनक थी ।

घ. मस्टर रोल पर मजदूरों के नाम तथा दिहाड़ी के दिन मजदूरों से पूछने पर एक जैसे पाये गये ।

ड. तीनों कार्यों के अंकेक्षण के दौरान कुल 14 मजदूरों से बात करने पर यह ज्ञात हुआ कि भुगतान राशि, कार्य दिवसों के बराबर दी गई है ।

च. मस्टरोल पर छः कार्य दिवस के उपरांत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप मजदूरों को वैतनिक छुट्टियां भी देना पाया गया ।

4. कार्यस्थल पर सुविधाएंः-

क. कार्यस्थल पर अस्थाई रूप से छाया का प्रबन्ध तथा बैठनेके लिए चटाई भी पाई गई ।

ख. प्राथमिक उपचार के लिए उचित प्रबन्ध था जिसमें पट्टियां, एन्टिसैफटिक व रुई पाई गई ।

ग. कार्यस्थल पर बच्चों के लिए क्रैच की व्यवस्था का जायजा नहीं हो सका क्योंकि पंचायत में महिलाओं की कार्यों में भागीदारी कम है ।

घ. पानी की व्यवस्था मजदूर स्वयं पास के पोखर से ला कर कर रहे थे ।

ड. कार्यस्थल पर इस्तेमाल हो रहे औजार अधिकतर पंचायत के द्वारा मुहैया करवाये गये थे, किन्तु एक मजदूर स्वयं अपने औजार लेकर कार्य करता हुआ पाया गया ।

5. कार्य का चयन व कियान्वयनः

क. दल द्वारा प्रगति पर केवल एक कार्य का ही अंकेक्षण किया गया, जिसमें 5 मजदूर काम कर रहे थे, जब दल में मौजूद एक कनिष्ठ अभियंता ने अंदाजन कार्य का मापन किया तो पाया कि कुल मजदूरी जो कि 5500 रूप्ये थी, से अधिक कार्य हो चुका था । यह तथ्य सामुदायिक भागीदारी का एक प्रमाण था ।

ख. कार्यों का चयन वार्षिक योजना से ही किया जा रहा था ।

ग. तीनों कार्यों की उपयोगिता संतोषजनक थी तथा कार्यरत मजदूरों के अनुसार, कार्य उन्होंने चयनित किये थे व वे उससे खुश नजर आये ।

6. पारदर्शिता तथा जिम्मेवारीः-

क. पंचायत घर में सभी रजिस्टर पूरी तरह विवरण सहित पाये गये ।

ख. दल के 2 दिन के दौरे के दौरान, 2 आवेदक पंजीकरण हेतु आये, जिन्हें पंचायत सचिव ने, उसी क्षण, पूरी कागजी औपचारिकताएं पूर्ण करके, जॉब कार्ड तथा कार्य के आवेदन हेतु अर्जियां भी दी ।

ग. पंचायत घर बावनी में कुछ सराहनीय तथ्य भी सामने आये, जैसे कि पंचायत घर की बाहरी दीवारों पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा अन्य सभी योजनाओं के विवरण, बोर्ड बने थे ।

- जिस पर योजनाओं में किये गये विभिन्न कार्यों की सूची, खर्च की गई राशि, कुल श्रमिक दिवसों का विवरण पाया गया ।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की विशेषताओं तथा आवेदन की प्रकिया का भी एक बोर्ड पाया गया ।
- पंचायत के बाहर सचिव की उपलब्धता के दिन, तारीख लिखी पाई गई क्योंकि एक सचिव कम से कम 3 से 4 पंचायतों का कार्य देखता है ।

7. जागरूकता का स्तर

क. पंचायत वासियों में जागरूकता का स्तर मध्यम है । योजना के शुरू होने के लगभग 2 वर्ष बाद भी लोगों को पंजीकरण और कार्य आवेदन की भिन्नता के बारे में जानकारी नहीं है ।

ख. मजदूर कार्य आवेदन की रसीद प्राप्त नहीं करते, न ही उन्हें इसके महत्व का कोई ज्ञान है ।

ग. वे कार्य आवेदन का अनुरोध अपनी पंचायत के सचिव व प्रधान को नहीं करते, जिस कारण उन्हें रसीद उपलब्ध नहीं हो पाती ।

घ मजदूरों को यह कतई ज्ञान नहीं है कि यह मांग आधारित योजना है, अतः वे पंचायत की सूचना का इंतजार करते रहते हैं ।

अन्य सभी कार्य पंचायत में संतोषजनक थे तथा ग्राम पंचायत में कई उपयोगी कार्य हुए हैं ।

विकास खण्ड पॉवटा की ग्राम पंचायत पुरूवाला की सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट

ग्राम पंचायत पुरूवाला नाहन से कुल 37 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां एक समूह को प्रशिक्षण के दौरान क्षेत्र अध्ययन के लिए भेजा गया ।

ग्राम पंचायत पुरूवाला की सामाजिक आर्थिक स्थितिः-

क.स.	विवरण	
1.	कुल वार्ड	0007
2.	कुल परिवार	0678
3.	कुल जनसंख्या	5312
4.	कुल स्त्रियां	2927
5.	कुल पुरूष	2385
6.	कुल बी.पी.एल. परिवार	0081
7.	महिला मण्डल	0003
8.	युवक मण्डल	0003
9.	जलस्तर	30-35 फिट
10.	पंचायत मुख्यालय से जिला मुख्याल की दूरी	37 कि.मी.
11.	विकास खण्ड मुख्यालय की दूरी	10 कि.मी.
12.	व्यवसाय	कृषि एवं उद्यान कार्य
13	नकदी फसल	गेहूं, चन्ना, धान तथा स्ट्रावरी

ग्राम पंचायत पुरूवाला में राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना के अन्तर्गत हुए कार्यो व खर्चो का ब्यौरा ।

क्र. स.	विवरण	
1.	कुल कार्य	11
2.	कुल प्राप्त राशि	547776.00 रूपये
3.	खर्च राशि	543875.00 रूपये
4.	फुटकर निधि	3777.00 रूपये
5.	कुल पंजीकरण	156
6.	कुल जॉब कार्ड	156
7.	कुल महिलाओं का पंजीकरण	03
8.	पूर्ण कार्य	1
9.	प्रगति पर कार्य	शून्य

क. सामाजिक अंकेक्षण प्रकिया के दौरान सामने आये तथ्यः-

1. सामाजिक अंकेक्षण की प्रकिया के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत पुरूवाला में योजना को लागू हुए दो वर्ष हो चुके हैं और इन दो वर्षो में पंचायत में एक्ट, मार्गदर्शिका व स्कीम की प्रति उपलब्ध नहीं थी ।
2. सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत में 6 रजिस्टर रखे गये थे ।
3. 6 रजिस्टर में से पंजीकरण रजिस्टर पर प्राधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर नहीं थी ।
4. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अधीन जो सूचना पट्ट लगया जाता है वह क्षेत्रीय अध्ययन दल के पहूंचने पर ही लिखा जा रहा था ।
5. गत दो वर्षो के अन्तराल में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था ।
6. सर्तकता एवम् समीक्षा समिति का गठन तो किया गया था परन्तु समिति की संरचना निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई । सम्भवतः कार्यक्रम के प्रारम्भिक चरण के फलस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो ।

ख. पंजीकरण एवं जॉब कार्डः-

1. ग्राम पंचायत पुरूवाला में कुल 678 परिवार है जिसमें से 156 लोग ही पंजीकृत थे तथा सभी को जॉब कार्ड दिये गये ।
2. पंजीकृत संख्या 156 में केवल 3 महिलाएं शामिल थी ।
3. पंजीकृत संख्या 156 के विरूद्ध 60 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ था ।
4. अंकेक्षण के दौरान जिन लाभार्थियों को जॉब कार्ड देखे गए उनमें से किसी भी कार्ड पर फोटो नहीं पाया गया ।
5. जॉब कार्ड पर प्रविष्टियां सही पाई गई ।
6. एक पुरूष मजदूर जिसका नाम भुट्टो बताया गया रिकार्ड में स्त्री दर्ज था तथा फोटो उपलब्ध नहीं थी ।

ग. कार्यो का नियोजन एवं स्वीकृति

1. ग्राम पंचायत पुरूवाला में कुल 11 काम किये गए थे जो 2006-2007 के अर्न्तगत पूर्ण हो चुके थे ।
2. ग्राम पंचायत पुरूवाला में वार्षिक योजना व परिपेक्ष्य योजना बनाई गई थी जिसकी प्रति पंचायत घर में उपलब्ध थी ।
3. ग्राम पंचायत में कोई भी चालू कार्य नहीं था ।

घ. मजदूरी का भुगतानः-

1. मजदूरी का भुगतान नकद किया जा रहा था ।

2. अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मजदूरों को भुगतान की गई राशि याद नहीं थी । जिसके कारण मस्टरोल में अंकित राशि मजदूरों के वक्तव्य से मिलान करने में कठिनाई आई ।

ड. परिसम्पतियों का निरीक्षण

1. ग्राम पंचायत पुरूवाला में 11 परिसम्पतियों में से 5 परिसम्पतियों का निरीक्षण किया गया ।
   - क. डंगा निर्माण ईशवर सिंह के खेत पर वार्ड न. 4
   - ख. डंगा निर्माण वार्ड न. 3
   - ग. स्कूल के खेल मैदान का समतल करना वार्ड न. 5
   - घ. पक्की गली एसी.सी. बस्ती संतोषगढ.
   - ड 8 हैंड पम्प एसी.सी. बस्ती पुरूवाला वार्ड न. 3
2. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अर्न्तगत निर्मित परिसम्पतियों की गुणवता संतोषजनक थी ।
3. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्थानीय जनता को इन कार्यों से लाभ प्राप्त हुआ है ।

च. कार्यस्थल सम्बन्धित तथ्य

1. अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि बनाई गई परिसम्पतियों पर सूचना पटट उपलब्ध नहीं थे ।
2. लाभार्थियों ने बताया कि कार्य प्रगति काल में कार्यस्थल पर छाया व्यवस्था का कोई प्रबन्ध नहीं था ।
3. कार्यस्थल पर चिकित्सा पेटिका का प्रंबन्ध पंचायत प्रधान द्वारा स्वयं किया गया था । विकास खण्ड कार्यालय द्वारा केवल एक पेटिका उपलब्ध करवाई जाती है, जिसका सभी कार्यस्थलों पर होना संभव नहीं है ।

छ. सामुदायिक जागरूकता

1. लोगों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में विस्तृत जानकारी का नितान्त अभाव था ।
2. स्थानीय लोगों की जानकारी का मुख्य स्त्रोत पंचायत प्रधान या वार्ड सदस्य ही थे ।
3. सामुदायिक जागरूकता में कमी होने का कारण यह भी है कि लोग ग्राम सभा की बैठक में सहभागिता नहीं रखते ।
4. किसी भी प्रकार से योजना के प्रचार एवम् प्रसार की व्यवस्था ग्राम पंचायत में दृष्टिगोचर नहीं हुई ।
5. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि भी योजना के प्रचार एवम् प्रसार की धीमी गति के प्रति उदासीन प्रतीत हुए ।

झ. अन्य तथ्य

1. ग्राम पंचायत पुरूवाला मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत महिलाओं की भागीदारी कम पाई गई ।
2. ग्राम पंचायत पुरूवाला में पाया गया कि लोग 100 दिन के रोजगार की जगह औद्योगिक क्षेत्र में 365 दिन के रोजगार को प्राथमिकता देते हैं जहां पर मजदूरी दर भी अधिक है ।
3. ग्राम सभा में स्कीम की विस्तृत जानकारी देने पर 22 लोगों ने पंजीकरण करवाया और रोजगार की मांग की ।
4. ग्राम सभा में आये शिक्षित स्नातक युवकों ने विचार व्यक्त किया कि रोजगार गारंटी स्कीम में पढे लिखे लोगों के Stakes का ध्यान नहीं रखा गया है तथा योजना में उन्हें शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप उचित रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की जाये ।
5. ग्राम सभा में पाया गया कि लोग रोजगार प्राप्त करने की अपेक्षा बी.पी.एल./ पी.डी.एस./ अंतोदय में शामिल होने में इच्छुक थे ।
6. कार्य मांग के दिन केवल अक्तूबर से मार्च के दौरान ही पाये गये ।
7. 2 वर्षों में NREGA से सम्बधित कोई भी प्रशिक्षण ब्लॉक व पंचायत स्तर पर नहीं हुआ था ।
8. अंकेक्षण के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि ग्रामीण लोगों को खादी ग्रामीण उद्योग से खडडी प्रदान की गई है जिससे वह मासिक 1000-1200 रूपये कमाते हैं साथ ही वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं ।

9. यह भी पाया गया कि प्रधानों, सचिव तथा वार्ड सदस्यों सहित सभी पंचायत वासी सोशल ऑडिट को लेकर संदेहास्पद थे तथा इस प्रशिक्षण को अपने कार्यों पर एक तरह की सरकारी जांच वाली खोजबीन समझ रहे थे ।

10. अंकेक्षण के दूसरे ही दिन पंचायतों के प्रधान, पंचायत घर नावनी व पुरूवाला में इक्कठे हो गये तथा उनके द्वारा ऑडिट के प्रति संशय जताया गया ।

11. सभी टीम सदस्यों, प्रोग्राम अधिकारी श्री रविन्द्र शर्मा तथा हिपा के फेसिलिटेटरज ने प्रधानों की समस्याएं सुनी तथा उन्हें समाधान बताते हुए सामाजिक अंकेक्षण की महता का एहसास दिलवाया ।

12. सभी प्रधान संतुष्ट हो कर पंचायत घर से गये तथा सभी का धन्यवाद करके यह वादा कर गये कि 22.2.2008 को होने वाली ग्राम सभा में वे आयेंगे तथा अपनी वी.एम.सी. के सदस्यों को भी लायेंगे ।

13. ग्राम सभा ने यह स्वीकारा है कि योजना के फायदे 50 प्रतिशत उठाये गये हैं क्योंकि सभी स्तरों पर जानकारी कम है ।

14. ग्राम सभा के दौरान 5 पंचायतों के सचिवों सहित सभी प्रधान लोग भी आये तथा ऑडिट की विस्तृत जानकारी प्राप्त की ।

सुझाव

कार्यक्रम के अंतिम दिन उपायुक्त सिरमौर व संयुक्त निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के समक्ष प्रतिभागियों द्वारा जो विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किये गये, उनका विवरण इस प्रकार से है:-

1. अच्छे कार्य के लिए पंचायत/ब्लॉक/जिला स्तर पर पुरस्कार (व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों प्रकार के) दिये जाने पर विचार किया जाये ।

2. ग्राम सभा सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि समय समय पर योजना के बारे में जागरूकता तथा प्रशिक्षण शिविर होने चाहिए, जिससे योजना पूर्ण रूप से तथा उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब हो सकें ।

3. सतर्कता समीक्षा समीति का नाम बदल कर सामाजिक जागरूकता समीति रखा जाए ।

4. ग्राम सभा सदस्यों ने कहा कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत कार्यों का भुगतान बैंक चेक द्वारा चाहते हैं जिससे गांव वासी बचत भी कर पायेंगे ।

5. किसी भी स्कीम/प्रोगराम के शुरू होने से पहले कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए ।

6. सतर्कता समीक्षा समीति के प्रशिक्षण की आवश्यकता जताई गई ।

7. जिस कार्य में महिलाएं, वृद्ध, अपंग व्यक्ति अधिक संख्या में है, उस कार्य के आंकलन में रियायत होनी चाहिए ।

8. सिचांई व पौधा रोपण के कार्यों को अधिक से अधिक करवाया जाए ।

9. ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश को कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु कदम उठाने चाहिए जिनका कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी में भी प्रावधान है ।

10. जॉब कार्ड पर लाभार्थी को दिए गए भुगतान की राशि को भी दर्शाया जाना आवश्यक है ।

11. जिन पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण की प्रकिया पूर्ण हुई हैं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सौजन्य से ऐसी पंचायतों को प्रशस्ति पत्र व पारितोषिक प्रदान किया जाए ।

उपरोक्त सभी प्रस्तावों को उपायुक्त तथा संयुक्त निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ध्यान पूर्वक सुनने के उपरांत उन पर उचित स्तर पर यथोचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया । मुख्य अतिथि महोदय ने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षणार्थी पांच दिन के दौरान अर्जित किये गये ज्ञान को कार्यक्रम के प्रभावी कार्यन्वयन में प्रयोग करके कार्यक्रम कार्यन्वयन में नये आयाम स्थापित करेंगे । इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर इस प्रशिक्षण को आयोजित करवाने के लिए उन्होंने निदेशक हि.प्र.लोक प्रशासन संस्थान तथा अधिकारी/संकाय सदस्य वर्ग का भी आभार व्यक्त किया । प्रतिभागियों की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ ।